न्यायालय न्यायिक मजिस्ट्रेट, सराडा, सलूम्बर

ओमप्रकाश **बनाम** मधुकमारी

प्रकरण संख्या 10/2021 रे.फो.

अपराध अंतर्गत धारा 138 एनआईएक्ट

दिनाँक : 10.12.2025

परिवादी ओमप्रकाश मय अधिवक्ता श्री मकबूल बेग मिर्जा उपस्थित।

अभियुक्ता अनुपस्थित। अधिवक्ता श्री मनन शर्मा उपस्थित। अभियुक्ता की ओर से जरिये अधिवक्ता हाजरी माफी का प्रार्थना पत्र पेश हुआ जो बाद जांच आज के लिए स्वीकार किया गया।

परिवादी ओमप्रकाश की मुख्य परीक्षा पी.ड.1 के रूप में लेखबद्ध किये गये। इस स्तर पर अभियुक्ता की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र धारा 91 सीआरपीसी (94 बीएनएसएस 2023) का पेश किया गया। नकल अधिवक्ता परिवादी को दिलायी गयी। अधिवक्ता परिवादी द्वारा उक्त प्रार्थना पत्र का जवाब पेश नहीं कर सीधे बहस की गयी।

बहस प्रार्थना पत्र उभय पक्ष सुनी गयी। अधिवक्ता अभियुक्ता द्वारा अपने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों की पुनरावृत्ति करते हुए तर्क दिया गया कि परिवादी द्वारा जो वादग्रस्त चैक तादादी 6,50,000/– रूपये का वाद न्यायालय में प्रस्तुत किया है जिसमें परिवादी द्वारा लेन देन की तारीख का कहीं भी अंकन नहीं है व उक्त रूपयों परिवादी कहां से लेकर आया इस कथन का भी कहीं अंकन नहीं है। परिवादी द्वारा उक्त लेन देन के संबंध में कोई लिखापढी भी प्रस्तुत नहीं की जो परिवादी के परिवाद में अंकित कथन की ताईद करे जिससे यह साबित हो सके की परिवादी व अभियुक्ता के मध्य तथाकथित लेन देन हुआ हो। परिवादी उक्त तथाकथित राशि 6,50,000/– रूपये देने की हैसियत रखता है या नहीं उस संबंध में परिवादी तथा अपने खाता विवरण व आयकर रिटर्न भी पत्रावली पर प्रस्तुत नहीं किये है जिससे परिवादी की हैसियत साबित हो सके। उक्त पत्रावली में परिवादी द्वारा अपना परिवाद के समर्थन में साक्ष्य का शपथ पत्र, आदि प्रस्तुत है परंतु मौजुदा साक्ष्य से अतिरिक्त निम्न दस्तावेज न्यायालय में तलब कराया जाना न्यायसंगत होकर अत्यंत आवश्यक है जिससे प्रार्थीया/अभियुक्ता अपना पक्ष न्यायाल के समक्ष मजबूती से रख सके उक्त दस्तावेज जो इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से तलब कराये जाना आवश्यक है। परिवादी व अभियुक्ता के मध्य हुई तथाकथित राशि के लेन देन संबंधी की कोई अभिस्वीकृति या ईकरारनामा जिसमें तथाकथित चैक संख्या 775412 का इन्द्राज हो। परिवादी के आय संबंधी वर्ष 2018 से लेकर 2023 के आयकर विवरण व पेन कार्ड की प्रति, परिवादी बैंक स्टेट बैंक वर्ष 2018 से 2023 तक तलब किया जाना आवश्यक है। अतः इसके साथ ही प्रार्थना पत्र स्वीकार किये जाने के साथ उपरोक्त दस्तावेज तलब किये जाने का निवेदन किया गया।

इसके विपरीत विद्वान् अधिवक्ता परिवादी ने हस्तगत प्रार्थना पत्र के तथ्यों का पुनजोर विरोध करते हुए तर्क दिया कि अभियुक्ता की ओर से यह प्रार्थना पत्र प्रकरण में विलम्ब कारित करने के आशय से पेश किया गया है। प्रकरण चैक से संबंधित होने से बैक स्टेटमेंट, आयकर विवरण इत्यादि को तलब किया जाना आवश्यक नहीं है अंत मेंः अभियुक्ता की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र सव्यय खारिज किये जाने का निवेदन किया।

बहस प्रार्थना पत्र उभय पक्ष सुनी गई, पत्रावली का अवलोकन किया गया, पत्रावली वर्तमान में साक्ष्य परिवादी के स्तर पर नियत है एवं इस स्तर पर अभियुक्ता द्वारा तथाकथित दस्तावेजात तलब कराये जाने का अनुतोष चाहा गया है प्रकरण में परिवादी की मुख्य परीक्षा के बयान के लेखबद्ध किये जा चुके है एवं परिवादी जिरह के स्तर पर विचाराधीन है तथा किसी भी पक्षकार को कोई साक्ष्य पेश करने हेतु बाध्य नहीं कर सकता है। दोनों पक्षकार अपने अपने स्तर पर साक्ष्य पेश करने हेतु स्वतंत्र है। यहां यह उल्लेखनीय है कि प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा अप्रार्थी/परिवादी से जिरह भी प्रारंभ नहीं की गई है तथा अपने तर्कों को साबित करने हेतु उसे परिवादी से जिरह करने का पूर्ण अवसर प्राप्त होगा। उल्लेखनीय है कि अभियुक्ता के द्वारा परिवादी की संदर्भित अवधि की आई.टी.आर. विवादित राशि के स्त्रोत के संबंध में तलब करवाना चाहा गया है उल्लेखनीय है कि विवादित राशि उधार दिये जाने की वित्तीय क्षमता साबित करने का भार स्वयं परिवादी पक्ष पर है। उक्त परिस्थितियों में परिवादी की आई.टी.आर. प्रकरण के न्यायपूर्ण निस्तारण के लिये तलब करवाया जाना आवश्यक प्रतीत नहीं होता है किसी भी पक्षकारान द्वारा न्यायालय को साक्ष्य संकलन का आधार नहीं बनाया जाता है।

अतः उक्त विवेचन अनुसार अभियुक्ता द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र 91 सीआरपीसी (94 बीएनएसएस 2023) अस्वीकार कर खारिज किया जाता हैं।

अधिवक्ता अभियुक्ता ने जिरह हेतु अवसर चाहा। पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली के अवलोकन से ज्ञात हुआ कि पूर्व में अधिवक्ता अभियुक्त को आदेशिका दिनांक 28.11.2024 को 500/– रूपये पर एवं दिनांक 07.04.2025 को 1000/– रूपये की कोस्ट पर पर्याप्त अवसर दिये जा चुके है। अधिवक्ता अभियुक्ता को आदेश दिया जाता है कि आगामी पेशी पर आवश्यक रूप से परिवादी से जिरह करें अन्यथा जिरह का अवसर स्वतः ही समाप्त समझा जावेगा। पूर्व आदेशित कोस्ट की राशि 1500/– रूपये पूर्ववर्ती शर्त रहेगी।

पत्रावली वास्ते साक्ष्य परिवादी जिरह हेतु दिनांक.....को पेश हो।